डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
(पूर्ववर्ती : आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

पत्रांकः सम्ब0/3323/2023 दिनांकः-24.04.2023

सेवा में,

1. समस्त निदेशक, विभागाध्यक्ष, डीन, प्रभारी आवरीय इकाई।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय।

विषयः—राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के कियान्वयन से सम्बन्धित **18 Actionable Points** के सम्बन्ध में सैल गठन एवं सूचना उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक शासन के निर्देशानुसार **राष्ट्रीय शिक्षा नीति—2020 के कियान्वयन से सम्बन्धित 18 Actionable Points के सम्बन्ध में महाविद्यालय स्तर पर सैल का गठन कर नोडल अधिकारी नामित करते हुये सूचना गूगल फॉर्म में (सही/प्रमाणिक) दिनांक 29.04.2023 तक प्रत्येक दशा में अपलोड करना एवं माह के प्रत्येक शनिवार को सूचना अपडेट किया जाना सुनिश्चत करें।** अन्यथा की स्थिति में शासन स्तर से किसी भी कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। 18 Actionable Points निम्नानुसार हैं:—

1. L1 – Multidisciplinary Education (MDE)
2. L2 – Adoption of Academic Bank of Credits
3. L3 – Adoption of Multiple Entry and Exit (MME)
4. L4 – Adoption of Guidelines on NHEQF and Curricular & Credit Framework for Four Year Undergraduate Progranne (FYUP)
5. Actionable Point-D1-ODL and Online Programmes
6. D2 – Digital nodal centres, delivering digital education such as SWAYAM and other MOOCs
7. IC1 – Internship/apprenticeship embedded degree programme
8. IC2 – Alumni connect office and portal
9. IC3 – Industry – Instittute Linkage – MoUs signed with Industry for Internship/research/entrepreneurship/employment
10. IC4 – Research and Development Cell-Research and Development Cell having Industry sponsored Projects
11. R1 – Academic and research Collaboration between Indian and foreign HEIs
12. R2 – Office of International Affairs
13. R3 – Ranking Excellence-HEIs participating in the ranking
14. R4 – Adoption of Guidelines of UGC on IDP
15. R5 – Accreditation – Number accredited HEIs
16. R6 – Faculty Vacancy Tracking-Number of HEIs with more than 20% Vacancy, Number of faculty vacancies in HEIs
17. IKS1 – Courses in indian Languages
18. IKS2 – Embedding IKS in the Curriculum

गूगल फॉर्म– https://forms.gle/Ngyz3HhdrCF63drJ6

सलंग्नकः—यथोपरि।

भवदीय

कुलसचिव

Affisvlett

आगरा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के क्रियान्वयन से सम्बन्धित 18 Actionable Points विषयक अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक माह अप्रैल, दिवस–प्रथम सोमवार (दिनॉक 03.04.2023) का कार्यवृत्त –

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के कियान्वयन से सम्बन्धित भारत सरकार द्वारा चिन्हित 18 कार्यान्वयन बिन्दुओं के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक दिनांक 20.12.2022 को निर्देश दिये गये कि प्रत्येक कार्यान्वयन बिन्दु के लिए एकत्रित किये जाने वाले सूचना/डाटा को गूगल फार्म के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराया जाय। सभी विश्वविद्यालय गूगल फार्म पर सही एवं पुष्टिकृत सूचनायें प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, कुमारी मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर एवं अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि गूगल फार्म पर जो डाटा दिया जाय वह सही तथा प्रोग्रेसिव होना चाहिये। विश्वविद्यालय अपने से सम्बद्ध महाविद्यालयों से सूचनायें गूगल फार्म पर प्राप्त कर उन्हें संकलित करते हुए ही सूचनायें भेजे। गूगल फार्म के माध्यम से अपेक्षित डाटा एवं सूचनायें (सही एवं पुष्टिकृत) प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करा दी जाय।

दिनांक 03–04–2023 को समीक्षा करने पर यह तथ्य संज्ञान में आया कि बैठक दिनांक 13.03.2023 को दिये गये निर्देश के कम में अभी तक लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा कोई नवीन सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक कोई नोडल अधिकारी नामित नहीं किया गया है। यह स्थिति अत्यन्त ही खेदजनक है।

इस सम्बन्ध में उक्त तीनों विश्वविद्यालय के उपस्थित प्रतिनिधियों को अन्तिम अवसर देते हुये निर्देश दिये गये कि 01 सप्ताह के अन्तर्गत 18 क्रियान्वयन बिन्दुओं के सम्बन्ध में गूगल फार्म पर डाटा अपलोड कराना सुनिश्चित करायें तथा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय तत्काल नोडल अधिकारी नामित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की दशा में सम्बन्धित तीनों विश्वविद्यालय के कुलसचिव के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी।

(कार्यवाही–कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी राज्य/निजी विश्वविद्यालय, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश, समय सीमा :–01 सप्ताह)

श्री राहुल
सभी से अनुपालनार्थ।
सभी महाविद्यालयों को अनुपालनार्थ–पत्र जारी भी।
21/04/23
कुलसचिव

2– प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के कियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा चिन्हित 18 Actionable points के संदर्भ में दिनांक 20.12.2022 को प्रस्तुतीकरण किया गया था। उसके उपरान्त समीक्षा बैठक दिनांक 27.02.2023 को विश्वविद्यालयों द्वारा मार्च, 2022 में प्रेषित एवं दिसम्बर, 2022 में प्रेषित आंकडों की भिन्नता से बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को अवगत कराया गया। इस पर सभी विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया गया था कि वे उक्त कार्य के लिये एक नोडल अधिकारी नामित करें, जो आंकड़े भरने एवं उनकी प्रमाणिकता के लिये जिम्मेदार हो। सभी विश्वविद्यालय अपने आंकड़ों को मार्च, 2022 में प्रेषित आंकडों से मिलान अवश्य कर लें।

92
24/04/23

RPS

-2-

इस सम्बन्ध में दिनांक 03.04.2023 को समीक्षा करने पर यह तथ्य संज्ञान में आया कि लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी द्वारा अभी तक डिजिटल नोडल अधिकारी नामित नहीं किया गया है तथा आंकड़ों की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी को छोड़कर किसी भी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का आंकड़ों की प्रमाणिकता का प्रमाण–पत्र अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है।

दिनांक 03.04.2023 को अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश दिये कि लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, दीन दयाल उपाध्याय, गोरखपुर, विश्वविद्यालय, गोरखपुर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ दो दिन के अन्तर्गत गूगल फार्म पर डाटा फीड करायें तथा डाटा का प्रमाणीकरण सम्बन्धित कार्य डॉ0 जय सिंह, सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय एवं समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा 03 दिन में प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लें।

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में तत्काल डिजिटल नोडल अधिकारी नामित किया जाय।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये गये कि श्री संजय कुमार दिवाकर, उप निदेशक, तकनीकी (रूसा) एवं श्री राजेश चतुर्वेदी, अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद् द्वारा निजी विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारियों के नाम व मोबाइल नंबर जोड़ने का कार्य **एक सप्ताह** में पूर्ण किया जाय।

(कार्यवाही–कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ, दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, श्री संजय कुमार दिवाकर, उप निदेशक, तकनीकी (रूसा) समय सीमा–01 सप्ताह)

3– राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के कियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा चिन्हित 18 Actionable points के प्रत्येक बिन्दुओं के सम्बन्ध में दिनांक 03.04.2023 को निम्न निर्देश दिये गये :–

4– **L1-Multidisciplinary Education (MDE)**

4.1. विश्वविद्यालयों को एकल पाठ्यकम B.Ed, Law, Agriculture महाविद्यालयों को छोड़कर संख्या भरनी होगी।

दिनांक 03.04.2023 की वर्चुअल बैठक में प्रो0 दिनेश शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि गूगल फार्म पर विश्वविद्यालय द्वारा ऑकड़े उपलब्ध करा दिये गये हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय तथा दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा द्वारा नवीन सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश दिये गये कि लखनऊ विश्वविद्यालय तथा दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा दो दिन के अन्तर्गत नवीन सूचना भी अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद् एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित

करायें। तदोपरान्त अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद् समेकित सूचना/आख्या शासन को उपलब्ध करायेंगे।

(कार्यवाही–कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय तथा दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा, अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन)

4.2. शासनादेश दिनॉक 20.4.21 एवं शासनादेश दिनॉक 09.8.21 के अनुसार विश्वविद्यालयों में **आनलाईन कोर्स/पेपर/एन.सी.सी** लागू करने की स्थिति तथा कितने विद्यार्थियों द्वारा उसका लाभ लिया गया है, की **संख्या** उपलब्ध करायी जाये तथा शासनादेश दिनांक 13.07.21 लागू करने की **वास्तविक स्थिति** बतायी जाये।

दिनांक 03.04.2023 की वर्चुअल बैठक में प्रो0 दिनेश शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि गूगल फार्म पर विश्वविद्यालय द्वारा ऑकड़े उपलब्ध करा दिये गये हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय तथा दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा द्वारा नवीन सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्देश दिये गये कि लखनऊ विश्वविद्यालय तथा दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा दो दिन के अन्तर्गत नवीन सूचना भी अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद् एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें। तदोपरान्त अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद् समेकित सूचना/आख्या शासन को उपलब्ध करायेंगे।

(कार्यवाही–कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय तथा दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा, अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन)

4.3. प्रदेश की क्लस्टरिंग नीति का ड्राफ्ट (Draft of State Clustering Policy) तैयार करने के लिये प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा के निर्देशन में पॉच सदस्यीय टीम गठित की जाये, जो तीन सप्ताह में क्लस्टरिंग नीति का ड्राफ्ट तैयार करेगी। क्लस्टरिंग नीति के ड्राफ्ट पर सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति का अभिमत/सुझाव प्राप्त कर ड्राफ्ट को एन.ई.पी–2020 स्टीयरिंग समिति के समक्ष प्रस्तुत कर क्लस्टरिंग नीति को अन्तिम रूप दिया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर प्रदेश में लागू किया जायेगा। समिति एकल संकाय महाविद्यालयों (Mono-faculty) को बहु–संकाय महाविद्यालय (Multi-faculty) में परिवर्तित करने की नीति को भी क्लस्टरिंग नीति में सम्मलित करेगी।

दिनांक 03.04.2023 को आहूत वर्चुअल बैठक में प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, द्वारा अवगत कराया गया कि शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–116/सत्तर–3–2022, दिनांक 13–01–2023 द्वारा कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जा चुका है। (State Clustering Policy) के आलेख्य का कार्य प्रगति पर है तथा समिति की बैठक अपेक्षित है।

-4-

इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा निर्देश दिये गये कि समिति का बैठक शीघ्र आहूत किये जाने हेतु कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को अनुरोध पत्र प्रेषित किया जाय।

(कार्यवाही– कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ/प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, कु0 मायावती राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर, समय सीमा:–02 सप्ताह; उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन, समय सीमा :– आलेख्य प्राप्त होने से 01 सप्ताह के अन्तर्गत)

4.4. एन.ई.पी–2020 को प्रदेश में लागू करने की नीति के अन्तर्गत आनलाईन कोर्स की मैपिंग करने के सम्बन्ध में :–

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–117/सत्तर–3–2022, दिनांक 13–01–2023 द्वारा कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।

प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, कुमारी मायावती राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर द्वारा वर्चुअल बैठक दिनांक 03.04.2023 को अवगत कराया गया है कि (State Course mapping and Credit Transfer Policy) का आलेख्य तैयार कर समिति को उपलब्ध करा दिया गया है। इन्टीग्रल विश्वविद्यालय के सुझाव आलेख्य में सम्मिलित कर लिये गये हैं।

इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा समिति की बैठक शीघ्र आहूत किये जाने हेतु कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को अनुरोध पत्र प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही– कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ/प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, कुमारी मायावती राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर, समय सीमा :–02 सप्ताह)

5– **L2- Adoption of Academic Bank of Credits**

प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा द्वारा दिनांक 20.12.2022 को प्रस्तुतीकरण करते हुए अवगत कराया कि Academic Bank of Credits (ABC) पर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को पंजीकरण कराना है। ABC पर केवल विश्वविद्यालय पंजीकरण कर सकते हैं। अतः इस बिन्दु के अन्तर्गत केवल विश्वविद्यालयों को डाटा फीड करना है। यह भी बताया गया कि महाविद्यालयों के मध्य क्रेडिट हस्तांतरण तथा अन्य कार्यो के लिये राज्य स्तरीय पोर्टल ABCAUS-UP तैयार किया गया है, परन्तु इस पोर्टल पर डाटा भरने के कार्य की गति धीमी है।

इस सम्बन्ध में वर्चुअल बैठक दिनांक 03.04.2023 को अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा निर्देश दिये गये कि डॉ0 संजय दिवाकर, उपनिदेशक, तकनीकी (रूसा) दिनांक 13.03.2023 को सम्पन्न हुई बैठक में दिये गये दिशा–निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही– डॉ0 जय सिंह, सहायक उप निदेशक, श्री संजय दिवाकर, उप निदेशक (तकनीकी) रूसा/अनुभाग अधिकारी (श्री राजमन सरोज)/समीक्षा अधिकारी (श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह), उच्च शिक्षा अनुभाग–3, समय सीमा :–30 जून, 2023 से पूर्व)

6– **L3- Adoption of Multiple Entry and Exit (MEE)**

6.1. विश्वविद्यालयों द्वारा यह सूचना दी जाय कि B.Ed, Law, Agriculture को छोडकर कोई ऐसा पाठ्यक्रम तो संचालित नहीं है जिसमें Multiple Entry and Exit लागू नहीं है।

दिनांक 03.04.2023 की वर्चुअल बैठक में प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि गूगल फार्म पर विश्वविद्यालयों द्वारा आंकड़े उपलब्ध करा दिये गये हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय तथा दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा द्वारा नवीन सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा दिनांक 03.04.2023 को निर्देश दिये गये कि कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय तथा दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा गूगल फार्म पर नवीन सूचना 03 दिन के अन्तर्गत निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् एवं शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें। निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज एवं अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद् समेकित सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगे।

(कार्यवाही– कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय तथा दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा, निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज एवं अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, समय सीमा :–01 सप्ताह)

6.2. Certificate, Diploma, PGDR के अन्र्तगत Exit लेने वाले विद्यार्थियों के लिये Certificate, Diploma, PGDR का नामंकरण (Nomenclature) करने के सम्बन्ध में :–

प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा द्वारा दिनांक 03.04.2023 की वर्चुअल बैठक में अवगत कराया गया कि कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की अध्यक्षता में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–659/सत्तर–3–2023–08(20)/2023 (L3) दिनांक 02.03.2023 द्वारा समिति गठित की गयी है।

इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त पत्र के कम में कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ व सम्बन्धित अन्य को पत्र प्रेषित कर 01 सप्ताह बाद बैठक करा ली जाय।

(कार्यवाही–प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, कु0 मायावती राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय, गौतमबुद्धनगर, प्रो0 राजेश कुमार चतुर्वेदी, अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, समय सीमा :–02 सप्ताह)

7– **L4- Adoption of Guidelines on NHEQF and Curricular & Credit Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP)**

7.1. यू.जी.सी. द्वारा दिसम्बर–2022 में जारी **Framework for Four Year Undergraduate Programme (FYUP)** से मैपिंग करने के लिये समिति बनायी जायः–

-6-

दिनांक 03.04.2023 को आहूत वर्चुअल बैठक में प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–681/सत्तर–3–2023–09(01)/2023, (L4) दिनांक 04.03.2023 द्वारा कुलपति, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जा चुका है। समिति द्वारा ऑनलाईन बैठक की गयी है।

दिनांक 03.04.2023 को आहूत वर्चुअल बैठक में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा निर्देश दिये गये कि समिति कार्यवाही पूर्ण कर प्रस्ताव शासन को एक पक्ष के अन्तर्गत प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही–कुलपति/कुलसचिव, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा, प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा एवं उच्च शिक्षा अनुभाग–3, समय सीमा :–02 सप्ताह)

7.2. समीक्षा बैठक दिनांक 20.12.2022 को डॉ0 जय सिंह, सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय को निर्देशित किया गया कि यू.जी.सी. द्वारा एन.ई.पी–2020 लागू करने के संदर्भ में जो भी नीति लागू की गई हैं, उन्हें सभी विश्वविद्यालयों को भेजकर दो सप्ताह के भीतर उनका मंतव्य प्राप्त कर रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायें।

दिनांक 03.04.2023 को हुई बैठक में डॉ0 जय सिंह, सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य विश्वविद्यालयों की सूचना प्राप्त हो गयी है। निजी विश्वविद्यालयों की सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा निर्देश दिये गये कि सभी निजी विश्वविद्यालयों से तत्काल सूचना प्राप्त कर डॉ0 जय सिंह, सहायक निदेशक, 01 सप्ताह के अन्तर्गत मन्तव्य शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही–डॉ0 जय सिंह, सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, समय सीमा :–01 सप्ताह)

8– Actionable Point-D1-ODL and Online Programmes

8.1. ODL, Online पाठ्यक्रम/पेपर क्रेडिट स्वीकार करने के लिये विश्वविद्यालयों द्वारा यू0जी0सी0 के प्राविधानों के आलोक में दिशा निर्देश जारी किये जायें तथा विद्यार्थियों को इससे अवगत कराने हेतु कार्यशालायें आयोजित की जायें:–

दिनांक 03–04–2023 को आहूत वर्चुअल बैठक में प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि शासनादेश संख्या–660/सत्तर–3–2023–08(21)/2022 दिनांक 02.03.2023 के द्वारा विश्वविद्यालयों को नोडल अधिकारी, नोडल ऑनलाइन एजुकेशन नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसके क्रम में सूचना उपलब्ध कराने वाले 37 में से 17 विश्वविद्यालयों द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं। सभी विश्वविद्यालयों द्वारा डिजिटल नोडल अधिकारी की सूचना उपलब्ध कराने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा इस बिन्दु पर सम्बन्धित के साथ एक बैठक आहूत करलें तथा वस्तुस्थिति से एक सप्ताह के अन्तर्गत शासन को अवगत करायें।

(कार्यवाही– प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, कु0 मायावती महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर गौतमबुद्धनगर, समय सीमा–01 सप्ताह)

8.2. प्रदेश में उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय (UPRTOU) प्रयागराज द्वारा ODL पाठ्यक्रमों को एन.ई.पी.–2020 के अन्तर्गत बनाये गये न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के अनुरुप पुर्नसंरचना (Restructuring) एवं मैपिंग की जायः–

दिनांक 03.04.2023 को आहूत वर्चुअल बैठक में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा अवगत कराया गया कि ODL पाठ्यक्रम हेतु शासनादेश संख्या–793/सत्तर–3–2023–8(21)/2023, दिनांक 20.03.2023 द्वारा कुलसचिव, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय (UPRTOU) प्रयागराज तथा दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट, आगरा को निर्देश दिये गये कि NEP-2020 में वर्णित केडिट व्यवस्था के अन्तर्गत विद्यार्थियों के लिए उपयोगी अन्य पाठ्यकम/कोर्स की सूची एक माह में शासन को उपलब्ध करायें। उक्त शासनादेश की प्रतिलिपि प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा को वाट्सएप के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा उक्त के सम्बन्ध में वर्चुअल बैठक कर एक सप्ताह के अन्तर्गत आख्या/प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–कुलपति एवं कुलसचिव, उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय (UPRTOU) प्रयागराज, दयालबाग एजुकेशनल इन्स्टीट्यूट, आगरा एवं प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, कार्यवाही समय सीमा–01 सप्ताह)

8.3. विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाइन एवं ODL Credits स्वीकार किये जा रहे अथवा नहीं, इसे देखा जाय तथा इसकी सूचना प्राप्त की जाय।

दिनांक 03–04–2023 को आहूत वर्चुअल बैठक में प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तर–8.2 की सूचना प्राप्ति के पश्चात ODL Credits हेतु फार्मेट तैयार किया जाना सम्भव हो पायेगा।

इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा निर्देश दिये गये कि सम्बन्धित दोनों संस्थाओं से सूचना शीघ्र प्राप्त कर मासिक समीक्षा हेतु एक फार्मेट तैयार कर शासन को 01 सप्ताह के अन्तर्गत प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा उपलब्ध करायें। ताकि फार्मेट अनुमोदनोपरान्त शासन द्वारा शीघ्र निर्गत की जा सके। उक्त फार्मेट पर ही ODL Credits स्वीकार किये जाने की सूचना समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय द्वारा माह के प्रथम शुकवार को सूचना उपलब्ध करायी जायेगी तथा उक्त माह के द्वितीय मंगलवार को शासन स्तर पर समीक्षा बैठक नियत रहेगी।

(कार्यवाही–समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0/प्रो0 दिनेश शर्मा एवं उच्च शिक्षा अनुभाग–3 समय सीमा–01 सप्ताह)

8.4. विश्वविद्यालयों द्वारा कार्यान्वित नवाचार कार्यक्रमों/**Best Pratices** की सूचनायें उच्च शिक्षा परिषद को उपलब्ध करायी जाय।

दिनांक 03–04–2023 को आहूत वर्चुअल बैठक में डॉ0 जय सिंह, सहायक निदेशक द्वारा अवगत कराया गया कि 12 राज्य विश्वविद्यालय द्वारा सूचना प्राप्त हुई है तथा किसी भी निजी विश्वविद्यालय से सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

-8-

इस सम्बन्ध में अपर मुख्य प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा निर्देश दिये गये कि जिन विश्वविद्यालयों से सूचना प्राप्त हो चुकी है, उन विश्वविद्यालयों को छोड़कर शेष को अनुस्मरण पत्र भेजकर 01 सप्ताह में सूचना डॉ0 जय सिंह प्राप्त करें।

(कार्यवाही–डॉ0 जय सिंह, सहायक निदेशक, प्रयागराज समय सीमा–01 सप्ताह)

8.5. प्रदेश के 120 राजकीय महाविद्यालयों में संचालित ई–पार्क में विद्यार्थियों को ऑनलाइन कोर्स की सुविधा प्राप्त कराने का निर्देश दिये गये हैं तथा डॉ0 जय सिंह, सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय को निर्देशित किया गया है कि वे महाविद्यालयों से माहवार रिपोर्ट प्राप्त करें कि कितने विद्यार्थियों ने ई–पार्क से ऑनलाइन कोर्स/पाठ्यक्रम पूर्ण किये हैं।

वर्चुअल बैठक दिनांक 03.04.2023 को अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा निर्देश दिये गये कि सभी क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, नोडल अधिकारी हैं। कितने विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं उसके ऑकड़े प्राप्त कर डॉ0 जय सिंह, सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय को 01 सप्ताह में उपलब्ध करायें। ताकि अन्य महाविद्यालयों में भी ई–पार्क से ऑनलाइन कोर्स/पाठ्यक्रम की सुविधा उपलब्ध करया जा सके।

(कार्यवाही–समस्त क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी एवं डॉ0 जय सिंह, सहायक निदेशक, प्रयागराज समय सीमा–01 सप्ताह)

9– D2- Digital nodal centres, delivering digital education such as SWAYAM and other MOOCs

प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा द्वारा दिनांक 22.12.2022 को प्रस्तुतीकरण करते हुए अवगत कराया गया कि प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में मान्यता प्राप्त MOOCs (SWAYAM etc) में पंजीकरण कराना है, जहाँ भी 30 छात्रा हों वहाँ परीक्षा हो सकती है। इस हेतु नोडल अधिकारी बनाया जाये, जो UGC-CEC,SWAYAM, vLab से समन्वय स्थापित कर प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन शिक्षा को बढावा देने का कार्य करें। इस सम्बन्ध में निम्नवत निर्देश दिये गयेः–

9.1. विश्वविद्यालयों द्वारा प्रायोगिक विषयों के लिए vLab के प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाय, के सम्बन्ध में प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा द्वारा दिनांक 03.04.2023 की वर्चुअल बैठक में अवगत कराया गया कि सभी विश्वविद्यालय द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त करने के पश्चात vLab से सम्पर्क कर कार्यशाला आयोजित करायी जायेगी।

उक्त के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त कार्य विश्वविद्यालय के नामित डिजिटल नोडल अधिकारी द्वारा किया जाना है अतएव तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित किया जाय।

9.2. vLab के कार्य के लिए प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा को शासनादेश संख्या–4362/सत्तर–3–2023–08(21)/2022, दिनांक 29.03.2022 द्वारा नोडल अधिकारी बनाया गया है। नोडल अधिकारी द्वारा vLab के प्रयोगों की मैपिंग करने के लिये निर्देश जारी करने हेतु रिपोर्ट शासन को शीघ्र प्रस्तुत किया जाय।

9.3. दिनांक 03–04–2023 को प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि निदेशक, स्वम एवं नैपटैल से वार्ता की गयी, विश्वविद्यालय द्वारा नोडल अधिकारी नियुक्त करने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

(कार्यवाही–प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा एवं निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज)

10– IC1- Internship/apprenticeship embedded degree programme

प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा द्वारा दिनांक 20.12.2022 को अवगत कराया कि शासनादेश दिनॉक 20.04.2021 एवं शासनादेश दिनॉक 13.07.2021 के अनुसार प्रदेश के सभी स्नातक (B.Ed, Law, Agriculture महाविद्यालयों को छोडकर) विद्यार्थियों के लिए पहले दो वर्ष में स्किल कोर्स पूर्ण करना अनिवार्य है तथा स्किल कोर्स को Internship/apprenticeship के द्वारा पूर्ण किया जाना है। शासनादेश दिनॉक 18.8.21 द्वारा स्किल कोर्स संचालन के लिये विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किये गये हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा स्किल कोर्स के विद्यार्थियों को Internship/ apprenticeship कराने के लिये MSME के साथ MoU भी किया गया है। प्रदेश के एक राजकीय महाविद्यालय में BVoc (UGC) कोर्स संचालित है, किन्तु धरातल पर स्किल एवं BVoc (UGC) कोर्स की स्थित संतोषजनक नहीं है। इस सम्बन्ध में दिनांक 03.04.2023 को निम्नवत निर्देश दिये गये :–

10.1. शासनादेश संख्या–666 / सत्तर–3–2023–09(2) / 2023(IC1), दिनांक 17.03.2023 द्वारा प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जा चुका है उनके द्वारा दिनांक 03.04.2023 की वर्चुअल बैठक में अवगत कराया गया कि समिति की ऑनलाइन बैठक की गयी है। आलेख्य का कार्य प्रगति पर है। तत्क्रम में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा निर्देश दिये गये कि वे आलेख्य का प्रस्ताव शासन को एक पक्ष में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें।

10.2. विश्वविद्यालय स्तर की एक समिति बनायी जाय जो महाविद्यालयों को स्किल कोर्स संचालित करने में सहयोग करें।

10.3. विश्वविद्यालयों द्वारा भी MSME के साथ MoU किया जा सकता है।

10.4. ITI एवं पॉलीटेक्निक से भी Integration किया जा सकता है।

वर्चुअल बैठक दिनांक 03–04–2023 को अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि बिन्दु संख्या--10.2, 10.3 तथा 10.4 के सम्बन्ध में पूर्व में पहले यू.पी. के सम्बन्ध में निर्गत कार्यवृत्त में स्किल हब बनाने हेतु प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, श्री आन्द्रावारसी से वार्ता कर कार्ययोजना बनायें, इस सम्बन्ध में सभी लोगों को मिलकर एक पृथक से बैठक भी कर ली जाय। ताकि स्किल कोर्स एवं BVoc (UGC) कोर्स के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 20–04–2021, 13–07–2021 एवं 18–08–2021 को परीक्षण कर समेकित शासनादेश निर्गत किया जा सके।

(कार्यवाही–प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा एवं उच्च शिक्षा अनुभाग–3 समय सीमा–03 सप्ताह)

11–IC2- Alumni connect office and portal

-10-

प्रो0 शर्मा द्वारा दिनांक 20.12.2022 को प्रस्तुतीकरण करते हुए अवगत कराया गया कि प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में Alumni connect office and portal बनाये जाने की आवश्यकता है। यह भी बताया गया कि NAAC मूल्यॉकन के दृष्टिगत Alumni एसोसिएशन का पंजीकरण होना आवश्यक है।

इस सम्बन्ध में दिनांक 03.04.2023 को हुई वर्चुअल बैठक में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा अवगत कराया गया कि बिन्दु संख्या–11.1, 11.2 एवं 11.3 के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–673/सत्तर–3–2023–09(03)/2023, दिनांक 06.03.2023 निर्गत किया गया है। जिसके द्वारा प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों में Alumni connect office and portal स्थापित किये जाने तथा Alumni एसोसिएशन का पंजीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज एवं कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0 को दिये गये हैं परन्तु उनके द्वारा अभी तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि सभी राज्य/निजी विश्वविद्यालय एक सप्ताह के अन्तर्गत निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज, अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद को सूचना उपलब्ध करायें। उक्त समेकित सूचना तैयार कर प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा को उपलब्ध करायी जाय। ताकि उनके द्वारा परीक्षणोपरान्त मन्तव्य शासन को 02 सप्ताह में उपलब्ध करायी जा सके।

(कार्यवाही–निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0 प्रयागराज, कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, कु0 मायावती महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर गौतमबुद्धनगर समय सीमा–02 सप्ताह)

12– IC3- Industry– Institute Linkage- MoUs signed with Industry for internship/ research/entrepreneurship/ employment

प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा ने दिनांक 20.12.2022 को अवगत कराया कि शासनादेश दिनॉक 15.01.21 द्वारा प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में Skill Development Cell बनाये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं, जो विभिन्न उधोगों से MoU कर internship/ research/ entrepreneurship/employment सुनश्चित करेगी, किन्तु उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा उद्योगों के साथ MoU किये जाने की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस सम्बन्ध में सभी कुलसचिवों को निर्देशित किया कि वे त्वरित गति से इस पर कार्य करें तथा एक माह में अनुपालन आख्या प्रस्तुत करें।

इस सम्बन्ध में दिनांक 03–04–2023 की वर्चुअल बैठक में प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि गूगल फार्म पर विश्वविद्यालयों द्वारा ऑकड़े उपलब्ध करा दिये गये हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा द्वारा नवीन सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त दोनों विश्वविद्यालय 02 दिन के अन्तर्गत अपनी सूचना निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, अपर सचिव,

उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद् एवं प्रो0 दिनेश शर्मा को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही–कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ तथा दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा समय सीमा 02 दिन)

13– IC4-Research and Development Cell-Research and Development Cell having Industry sponsored Projects

प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा ने दिनांक 20.12.2022 को प्रस्तुतीकरण करते हुए अवगत कराया कि शासनादेश दिनॉक 15.01.21 द्वारा प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में Research and Development Cell बनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में निम्नवत निर्देश दिये गये:–

13.1. प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलसचिव, अपने विश्वविद्यालयों तथा अधीनस्थ महाविद्यालयों में एक सप्ताह के अंदर Research and Development Cell स्थापित किये जाने तथा शासनादेश दिनॉक 06-01-22 के अनुसार लखनऊ विश्वविद्यालय की भॉति प्री.पी.एच.डी. कोर्स वर्क को ऑनलाइन करने हेतु नियमो में आवश्यक संशोधन करें, जिससे शिक्षकों को अवकाश की आवश्यक्ता न पड़े।

इस सम्बन्ध में डॉ0 जय सिंह, सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा सूचना उपलब्ध करायी जानी थी परन्तु उनके द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। उन्हें दिनांक 03.04.2023 को निर्देशित किया गया कि वे चेक कर लें कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अनुरूप किसी अन्य विश्वविद्यालय ने कार्य किया है अथवा नहीं तथा वे समस्त राज्य व निजी विश्वविद्यालयों की सूचना प्राप्त कर 03 दिन के अन्तर्गत शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही– डॉ0 जय सिंह, सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश समय सीमा–03 दिन)

13.2. यू.जी.सी. गाईडलाईन के अनुरुप प्रदेश की शोध नीति एवं प्रदेश की कन्सलटेन्सी नीति बनाने हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–685/सत्तर–3–2023–09(5)/2023 (IC4) दिनांक 06.03.2023 द्वारा कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है। इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा दिनांक 03.04.2023 को निर्देश दिये गये कि कुलपति समिति की बैठक शीघ्र करायें तथा उच्च शिक्षा अनुभाग–3 द्वारा अनुस्मरण पत्र तत्काल प्रेषित किया जाय।

13.3. सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं द्वारा भारत सरकार की Institutional Innovation Council (IIC) में नियमानुसार पंजीकरण कराया जाना सुनिश्चित करें। डॉ0 जय सिंह, सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय सभी राजकीय/अनुदानित महाविद्यालयों की सूचना एवं कुलसचिव राज्य विश्वविद्यालय अपने अधीनस्थ स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की सूचना उपलब्ध करायें।

इस सम्बन्ध में प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि IIC में पंजीकरण हो चुका है परन्तु कार्य में प्रगति नहीं है।

RPS

-12-

वर्चुअल बैठक दिनांक 03.04.2023 को समीक्षा के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि जनपद–आगरा एवं गोरखपुर में पंजीकरण का काम अत्यन्त ही धीमी गति से चल रहा है तत्क्रम में अपर मुख्य सचिव, उच्च द्वारा निर्देश दिये गये कि डॉ0 जय सिंह, सहायक निदेशक, Institutional Innovation Council (IIC) में पंजीकरण हेतु सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को तत्काल पत्र भेजें कि वे पंजीकरण की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करायें।

श्री आशुतोष सिंह, क्रिस्प संस्था के प्रतिनिधि को निर्देश दिये गये कि सभी महाविद्यालयों का पोर्टल बनायें तथा कितने महाविद्यालयों में वेबसाइट नहीं बनी है, की सूचना प्राप्त करें।

(कार्यवाही–सभी राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, डॉ0 जय सिंह, सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय/श्री आशुतोष सिंह, क्रिस्प संस्था)

14– R1-Academic and research Collaboration between Indian and foreign HEIs

प्रो0 शर्मा ने अवगत कराया कि वर्तमान में विदेशी संस्थानों से समन्वय के लिये यू.जी.सी–2016 गाईडलाईन उपलब्ध हैं तथा यू.जी.सी ने विदेशी संस्थानों से समन्वय के लिये नया ड्राफ्ट यू.जी.सी–2022 गाईडलाईन जारी कर दिया है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि यू.जी.सी–2022 की गाईडलाईन आने पर प्रदेश की विदेशी संस्थानों से समन्वय नीति तैयार करने हेतु समिति बनायी जाये।

वर्चुअल बैठक दिनांक 03.04.2023 को प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि यू0जी0सी0 की गाइडलाइन मई, 2023 में आने की संभावना है। इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा यू0जी0सी0 से सम्पर्क कर यथा समय गाइडलाइन प्राप्त कर लें।

प्रो0 बलराज चौहान, टीम लीडर, क्रिस्प संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा दिनांक 01.04.2023 को स्टडी इंडिया पोर्टल पर गाइडलाइन जारी किया गया है। उक्त गाइडलाइन किस प्रकार एडाप्ट करना है उसका परीक्षण कर प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा एवं श्री बलराज चौहान विचार–विमर्श कर वस्तुस्थिति से शासन को अवगत करायें ताकि यू0पी0 फार इण्डिया, यू0पी0 फार वर्ल्ड, यू0पी0 फार जी–20 में संयुक्त डिग्री/दोहरी डिग्री का लाभ किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है।

(कार्यवाही–प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा/प्रो0 बलराज चौहान, टीम लीडर, क्रिस्प संस्था)

15– R2-Office of International Affairs

प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा ने दिनांक 20.12.2022 को अवगत कराया कि शासनादेश दिनॉक 15.01.2021 द्वारा प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में Office of International Affairs बनाये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं। इस सम्बन्ध में सभी कुलसचिवों को निर्देशित किया कि वे शासनादेश के अनुपालन में सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में एक माह के भीतर Office of International Affairs स्थापित कराकर अनुपालन आख्या शासन के प्रेषित करें।

दिनांक 03.04.2023 को हुई वर्चुअल बैठक में प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा द्वारा अवगत कराया कि गूगल फार्म पर विश्वविद्यालयों द्वारा आंकड़े उपलब्ध करा दिये गये हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय एवं

दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा द्वारा नवीन सूचना उपलब्ध नहीं करायी है। यह भी अवगत कराया गया कि बिन्दु संख्या–14 पर कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त बिन्दु संख्या–15 पर कार्यवाही पूर्ण हो जायेगी।

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा निर्देश दिये गये कि लखनऊ विश्वविद्यालय एवं दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा नवीन सूचना **02 दिन** में उपलब्ध करायें।

(कार्यवाही–कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय एवं दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा, समयसीमा–02 दिन)

16– **R3- Ranking Excellence-HEIs participating in the ranking**

प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा ने दिनांक 20.12.2022 को अवगत कराया कि 2022 में प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अर्न्तगत आने वाले 54 उच्च शिक्षण संस्थानों ने ही NIRF में प्रतिभाग किया गया। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा NIRF, ARIIA में प्रतिभाग किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसमें प्रतिभाग करने हेतु कोई शुल्क नहीं है। यह भी अवगत कराया गया कि शिक्षण संस्थानों को ISO प्रमाणीकरण भी कराना चाहिए।

दिनांक 03.04.2023 को हुई वर्चुअल बैठक में प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा द्वारा अवगत कराया कि शासनादेश संख्या–693/सत्तर–3–2023–09 (6)/2023 दिनांक 24.03.2023 द्वारा प्रदेश स्थित समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों में NIRF, ARIIA एवं अन्य रैंकिंग में प्रतिभाग किये जाने हेतु कार्यशालाएं आयोजित कराने के निर्देश दिये गये हैं।

इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा निर्देश दिये गये कि डॉ0 जय सिंह, सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज सभी शैक्षणिक संस्थानों से आयोजित कार्यशालाओं की सूचना एकत्रित कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–निदेशक, उच्च शिक्षा, प्रयागराज एवं डॉ0 जय सिंह, सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज)

17– **R4- Adoption of Guidelines of UGC on IDP**

प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा ने दिनांक 20.12.2022 को अवगत कराया कि शासनादेश दिनॉक 18.11.2020 एवं शासनादेश दिनॉक 15.01.2021 के द्वारा प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को Institutional Development Plan (IDP) बनाने हेतु निर्देशित किया गया है, किन्तु अभी तक शिक्षण संस्थानों ने IDP तैयार कर website पर अपलोड नहीं किया गया है। यू.जी.सी. ने भी Institutional Development Plan (IDP) बनाने हेतु निर्देश जारी किये हैं।

दिनांक 03.04.2023 को हुई वर्चुअल बैठक में प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा द्वारा अवगत कराया कि Institutional Development Plan (IDP) बनाने हेतु शासनादेश संख्या–694/सत्तर–3–2023–09–07/2023 (R4) दिनांक 12.03.2023 द्वारा कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ की अध्यक्षत में समिति का गठन किया गया। उक्त समिति द्वारा प्रस्ताव तैयार कर 01 माह में शासन को उपलब्ध कराया जाना है परन्तु प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा निर्देश दिये गये कि कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ को तत्काल अनुस्मरण पत्र प्रेषित किया जाय तथा उच्च शिक्षा अनुभाग–4 से एक तथ्यात्मक आख्या अनुभाग–3 प्राप्त कर लें।

(कार्यवाही–उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उच्च शिक्षा अनुभाग–4, प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा

-14-

18- **R5-Accreditation-Number of accredited HEIs**

प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा ने दिनांक 20.12.2022 को अवगत कराया कि वर्तमान में प्रदेश के 104 (1.31%) उच्च शिक्षण संस्थान ही NAAC द्वारा मूल्यांकित हैं, जो अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम हैं। प्रदेश के 169 शिक्षण संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने पुर्न--मूल्यांकन नहीं कराया है। यह भी अवगत कराया गया कि धर्मशाला में हुई बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये शिक्षण संस्थानों के मूल्यॉकन पर विशेष बल दिया था। शासनादेश दिनॉक 05.01.21 द्वारा नॉक मूल्यॉकन कराने वाले उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिये निर्देश जारी किये गये हैं, किन्तु अभी भी संस्थानों द्वारा इसमें रूचि नहीं ली जा रही है। अतः नैक मूल्यांकन हेतु प्रदेश की अर्ह उच्च शिक्षण संस्थानों का शत् प्रतिशत मूल्यॉकन कराने के लिये जिम्मेदारी आधारित नीति बनाने की आवश्यकता है।

दिनांक 03.04.2023 को हुई वर्चुअल बैठक में प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा द्वारा अवगत कराया कि प्रकरण में कार्यवाही वांछित है। इस सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा निर्देश दिये गये कि NAAC, NIRF, ARIIA के मूल्यांकन के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा परिषद् एवं क्रिस्प संस्था की ओर से महाविद्यालयों की सूचियां प्राप्त हुई हैं। उक्त सूची प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, प्रो0 बलराज चौहान, टीम लीडर, क्रिस्प संस्था एवं प्रो0 राजेश चतुर्वेदी, अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद् चेक कर मूल्यांकन हेतु विद्यालयों की सूची फाइनल शीघ्र कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही--प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, प्रो0 बलराज चौहान, टीम लीडर, क्रिस्प संस्था एवं प्रो0 राजेश चतुर्वेदी, अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद्)

NAAC मूल्यांकन हेतु 383+472 महाविद्यालय में से किस महाविद्यालय को कितनी धनराशि दी जा सकती है, इस सम्बन्ध में डॉ0 जय सिंह, प्रो0 राजेश चतुर्वेदी, प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ एवं वाराणसी परीक्षण कर 01 पक्ष में आख्या शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें।

इसके अतिरिक्त ऐसे महाविद्यालय, जिसके पास वित्तीय संसाधन का अभाव है, उन्हें कहां से वित्त की व्यवस्था की जा सकती है। इस बिन्दु पर डॉ0 जय सिंह, प्रो0 राजेश चतुर्वेदी, प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ एवं वाराणसी परीक्षण कर 01 पक्ष में समेकित आख्या डॉ0 जय सिंह के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही--डॉ0 जय सिंह, प्रो0 राजेश चतुर्वेदी, प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ एवं वाराणसी, समसीमा--01 पक्ष)

19- **R6-Faculty Vacancy Tracking-Number of HEIs with more than 20% Vacancy, Number of faculty vacancies in HEIs**

इस बिन्दु के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित पाठ्यक्रमों के पदों की ही सूचना भरी जानी है। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये थे कि इस बिन्दु पर सही सूचना भेजी जाय। साथ ही उच्च शिक्षण संस्थानों में रिक्त शैक्षिक पदों को नियमानुसार भरने की कार्यवाही की जाय।

दिनांक 03.04.2023 को हुई वर्चुअल बैठक में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रो0 राजेश चतुर्वेदी, अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद् सभी राज्य/निजी

विश्वविद्यालय से दिनांक 06.04.2023 तक सूचना प्राप्त कर शासन को उपलब्ध करायें। तत्क्रम में उनके पत्र दिनांक 11-04-2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि 20 राज्य विश्वविद्यालय तथा 26 निजी विश्वविद्यालय से सूचना प्राप्त हो गयी है। 05 विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर अभी तक सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। उनके नाम निम्नवत् हैं :-1. राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़, 2. श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, लखनऊ, 3. बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोयडा, गौतमबुद्धनगर, 4. मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़, गाजियाबाद, 5. जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय, मथुरा

इस सम्बन्ध में निर्देश हैं कि उक्त पांचो विश्वविद्यालय 02 दिन के अंदर अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद् को सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही-कुलसचिव, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़, श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय, लखनऊ, बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोयडा, गौतमबुद्धनगर, मोनाड विश्वविद्यालय, हापुड़, गाजियाबाद, जी0एल0ए0 विश्वविद्यालय, मथुरा)

20- IKS1- Courses in Indian Languages

प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा द्वारा दिनांक 20.12.2022 को अवगत कराया गया कि शासनादेश दिनॉक 15-01-21 द्वारा प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में Indian language, culture and arts cell स्थापित करने के निर्देश दिये गये हैं। यह भी बताया गया कि भारतीय भाषाओं को बढावा देने के उद्देश्य से छः भाषा केन्द्र स्थापित किये गये हैं। इस सम्बन्ध में पूर्व में निम्नवत निर्देश दिये गये हैं :-

20.1. भारतीय भाषाओं को बढावा देने के लिये विद्यार्थियों को प्रेरित करने हेतु कार्यशालायें आयोजित की जायें।

20.2. U.P. Digital Library पर भारतीय भाषाओं के कोर्स उपलब्ध करायें जायें।

दिनांक 03-04-2023 को हुई वर्चुअल बैठक में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा निर्देश दिये गये कि उपर्युक्त दोनो बिन्दुओं की सूचना समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय **एक पक्ष** में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही-समस्त कुलसचिव, राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, समय सीमा-15 दिन)

21- IKS2- Embedding IKS in the Curriculum

प्रो0 शर्मा ने दिनांक 20.12.2022 को अवगत कराया कि शासनादेश दिनॉक 16-03-22 द्वारा प्रदेश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में IKS को पाठ्यक्रम में सम्मलित करने के निर्देश दिये गये हैं। न्यूनतम समान पाठ्यक्रम में प्रत्येक विषय की पहली यूनिट में IKS को सम्मलित किया गया है। भारतीय ज्ञान परंम्परा (IKS) को वैज्ञानिक आधार पर सिद्ध करने के लिये केन्द्र बनाये जायें, जिससे भारतीय ज्ञान परंम्परा (IKS) को वैश्विक पटल पर स्थापित किया जा सके। इस सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि भारतीय ज्ञान परंम्परा (IKS) के लिये समिति बनाकर कार्ययोजना तैयार की जाय।"

दिनांक 03-04-2023 को हुई वर्चुअल बैठक में प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा द्वारा अवगत कराया गया कि शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-688/सत्तर-3-2023-09(08)/2023(IKS2) दिनांक 12.03.2023 द्वारा कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी को समिति का

अध्यक्षत नामित किया गया है। उक्त समिति द्वारा 02 माह के अन्दर भारतीय ज्ञान परम्परा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित कराने की कार्ययोजना उपलब्ध करायी जायेगी। यह भी अवगत कराया गया कि समिति द्वारा ऑनलाइन बैठक की गयी है। ड्राफ्ट का कार्य प्रगति पर है।

अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

(कार्यवाही–कुलपति/कुलसचिव, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, प्रो0 दिनेश चन्द्र शर्मा समय सीमा–01 माह)

तद्नुसार वर्चुअल समीक्षा बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

RPS